

चुनाव आयोग पर तोखा हमला , श कुमार के इस्तीफे की मांग



बदलाव, नाम हटाए जाने और मतदाता डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हरिप्रसाद ने 23 सितंबर को भी निर्वाचन आयोग में दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज आपत्तियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची, नाम जोड़ने-हटाने और संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर उठी आपत्तियों पर आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। आयोग ने कहा निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने आयोग के भीतर किसी संस्थागत विभाजन की धारणा को खारिज किया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आयोग का कहना है कि अंतरिक विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग टिप्पणियां या मत होना संस्थागत प्रक्रियाओं का हिस्सा है और उसके निर्णय पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयुक्तों के बीच विचार-विमर्श या मतभेद को लेखात्मक संस्थागत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। भाजपा की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि आयोग के भीतर अलग-अलग मतों का सामने आना अपने आप में किसी संस्थागत पक्षपात का प्रमाण नहीं है। चुनावी संस्थाओं पर भरोसा बना रहना महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग भारत की चुनावी प्रक्रिया की प्रमुख संवैधानिक संस्था है।

